संoसं0–7 / बजट–46–17 / 2021– 483 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक–30/12/2025

विषयः– केन्द्र प्रायोजित National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) योजनान्तर्गत इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट की स्थापना हेतु, राज्यांश मद में रु0 10,58,43,790 / –(रुपये दस करोड़ अंठावन लाख तैतालीस हजार सात सौ नब्बे) मात्र के अनुदान की विमुक्ति की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित केन्द्र प्रायोजित National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) योजनान्तर्गत राज्य के असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों की चिकित्सा हेतु इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में कुल रु0 120,00,00,000 / –(रुपये एक सौ बीस करोड़) मात्र की लागत से स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट की स्थापना हेतु रू० 77.29 करोड़ मात्र की स्वीकृति विभागीय पत्रांक–1271(1), दिनांक–17.09.2019 द्वारा दी गयी थी। परन्तु कार्य हस्तगत होने के प्रत्याशा में पी०एल० खाता से दिनांक–31.03.2024 को CFMS Portal से रू० 12,33,48,790 / – मात्र व्यपगत हो गया। राशि व्ययगत होने के कारण इस योजनान्तर्गत अन्तिम भुगतान का कार्य संस्थान के द्वारा नहीं किया जा सका। इस संदर्भ में यद्यपि वित्त विभाग के पत्रांक–4588 / वि०, दिनांक–02.05.2024 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि स्वतः व्ययगत से संबंधित मामले में आवश्यकतानुसार बजट उपबंध के माध्यम से आवंटन की कार्रवाई की जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के द्वितीय अनुपूरक आगणन के द्वारा इस संदर्भ में CFMS से स्वतः व्ययगत राशि का बजटीय उपबंध किया जा चुका है।

2– वर्णित स्थिति में इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के पत्रांक–3340, दिनांक–08.07.2025 के द्वारा उक्त राशि उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध के आलोक में केन्द्र प्रायोजित National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) योजनान्तर्गत इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट की स्थापना हेतु, राज्यांश मद में बजटीय उपबंध के विरूद्ध रु0 10,58,43,790 / –(रुपये दस करोड़ अंठावन लाख तैतालीस हजार सात सौ नब्बे) मात्र के अनुदान की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– राज्यांश की राशि के व्यय का वहन, मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–200–अन्य पद्धतियाँ– 0303– कैंसर, मधुमेह हृदय रोग नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन0पी0सी0डी0सी0एस0), विपत्र कोड–20–2210052000303, विषय शीर्ष 31–सहायक अनुदान अंतर्गत 0303–31–05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण ईकाई में उपबंधित राशि / अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपलब्ध राशि से किया जायेगा।

4– यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 / वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880 / वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938 / वि0(2), दिनांक–08.04.08, 3758 / वि0, दिनांक–31.05.2017 एवं 12888 / वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5– उक्त कार्य निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना द्वारा कराया जाएगा। वे निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करायेंगे :–

(क) कार्य बिहार वित्त नियमावली, 2005, पी०डब्लू०डी० कोड एवं अन्य सरकारी अनुदेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(ख) कार्य को निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की सारी जवाबदेही निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना की होगी।

(ग) संस्थान कार्य समाप्ति के उपरान्त अविलम्ब राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

6– इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटनां एक स्वशासी संस्थान है, अतएव इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA003 विपत्र कोड–00-8448001200068-0001 के अन्तर्गत ledger ID----- में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

8– प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–7/बजट–46–17/2021 के पृष्ठ–11/3/टि0 पर प्राप्त है ।

9– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10– प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

11– यह मात्र राज्यादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

30.12.25

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–7/बजट–46–17/2021– 483 (7)/स्वा०, पटना, दिनांक– 30/12/2025

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– भारत सरकार के अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (कैंसर रिसर्च सेक्सन), निर्माण भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/ लेखा शाखा (दो प्रतियो में) स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रतियाँ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30.12.25

सरकार के अपर सचिव